



फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/2022

07 अप्रैल, 2022

सेवा में,

श्री विनोद कुमार,  
श्री ब्रजपाल सिंह,  
26, सदर दाल मंडी, मेरठ कैंट,  
मेरठ-250 001

**विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदन का हस्तारण।**

महोदय,

कृपया अपने सूचना का अधिकार अधिनियम आवेदन दिनांक 26.02.2022 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके माध्यम से आपने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए निवेदन किया है।

आपके आवेदन में माननीय उपराष्ट्रपति जी के विषय में भी जानकारी मांगी गई है। इस संदर्भ में आपको अवगत कराना है कि माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा देश के भीतर की गई यात्रा रक्षा मंत्रालय तथा देश के बाहर की गई यात्रा विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाती हैं। अतः आपका आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत यथोचित कार्रवाई हेतु संबंधित मंत्रालयों को हस्तांतरित किया जा रहा है।

आपको यह भी अवगत कराया जाता है कि माननीय उपराष्ट्रपति जी से संबंधित लगभग सभी जानकारी उपराष्ट्रपति जी की वेबसाइट [www.vicepresidentofindia.nic.in](http://www.vicepresidentofindia.nic.in) पर उपलब्ध है। आशा है आप स्थिति से अवगत होंगे।

धन्यवाद,

भवदीय,

(हुरबी शकील)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

[hurbi.shakeel@nic.in](mailto:hurbi.shakeel@nic.in)

प्रतिलिपि:-

1. सीपीआईओ, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सीपीआईओ, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. श्री अरुण शर्मा, निदेशक एवं सीपीआईओ, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली।

हुरबी शकील

(हुरबी शकील)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

[hurbi.shakeel@nic.in](mailto:hurbi.shakeel@nic.in)

भारतीय संसद  
PARLIAMENT OF INDIA  
राज्य सभा सचिवालय  
RAJYA SABHA SECRETARIAT

RTI No. 961

संसद भवन/संसदीय सौंध,  
नई दिल्ली-110001  
वेबसाईट : <http://rajyasabhahindi.nic.in>

Parliament House/Annexe,  
New Delhi-110001.  
Website : <http://rajyasabha.nic.in>

NO.RS/2(56)/2022-RTI

Dated the 17<sup>th</sup> March, 2022

From

Sanjeev Chandra  
Director & CPIO

To

Shri Vinod Kumar, Assistant Accounts Officer & CPIO, Ministry of Finance, Department of Expenditure, Central Pension Accounting Office, Trikot - II, Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110 066.	Shri Parveen Kumar, Under Secretary & CPIO, Prime Minister's Office, South Block, New Delhi 110001.
✓ Smt. Hurbi Shakeel, Under Secretary & CPIO, Vice President's Secretariat, No. 6 Maulana Azad Road, New Delhi 110001.	

**Subject:** Transfer of application of Shri Vinod Kumar under Section 6(3) of the Right to Information Act, 2005.

Sir/Madam,

The Ministry of Parliamentary Affairs *vide* their letter F. No. 6/1/2021-ME. Dated 10<sup>th</sup> March, 2022 have forwarded an application dated 26<sup>th</sup> February, 2022 of Shri. Vinod Kumar (received on 14<sup>th</sup> March, 2022 in this Secretariat) filed under the RTI Act, 2005. The subject matter of the application may be closely related to the Central Pension Accounting Office, Ministry of Finance, Prime Minister's Office and Vice President's Secretariat. Therefore, the application is being transferred to you in accordance with the provisions of Section 6(3) of the Right to Information Act, 2005 with the request to provide information to the applicant under intimation to this Secretariat. A copy of the application is enclosed.

2. A copy of the letter is being endorsed to the applicant to indicate that a reply in the matter will be furnished by you also.

Yours sincerely,

  
(Sanjeev Chandra)  
Tel: 2303 5448

ई.फा. सं 6/1/2021-सां.प.

भारत सरकार

संसदीय कार्य मंत्रालय

आरटीआई संख्या	64
RTI CELL	R-22
आयडी सं./Dy. No.	
दिनांक/Date.	19/3/22

97, संसद भवन,  
नई दिल्ली  
10.03.2022

सेवा में,

श्री विनोद कुमार,  
श्री ब्रजपाल सिंह,  
26, सदर दाल मंडी मेरठ कैंट,  
मेरठ, पिनकोड - 250001 ।


विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन का हस्तांतरण ।

कृपया अपने आरटीआई आवेदन दिनांक 26.02.2022 का सन्दर्भ लें, जिसके द्वारा आपने आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत सूचना माँगा है ।

आरटीआई आवेदन में मांगी गयी सूचना इस मंत्रालय से सम्बन्धित नहीं है । आरटीआई आवेदन में मांगी गयी सूचना लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, गृह मंत्रालय तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से सम्बन्धित है । अतः इस आवेदन को सूचना का अधिकार, 2005 की धारा 6(3) के तहत यथोचित कार्रवाई हेतु उन्हें हस्तांतरित किया जाता है ।

इस विषय पर श्री ए. बी. आचार्य, उपसचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय, 94 संसद भवन, नई दिल्ली पथम अपीलीय अधिकारी है ।

Dir (CO) &amp; (SO)

भवदीय,  
  
(मनीष गुप्ता)

अवर सचिव, भारत सरकार एवं सीपीआईओ

प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु :-

- (1) अरुण शर्मा, निदेशक एवं सीपीआईओ, राज्य सभा सचिवालय, 125, संसदीय सौंथा, नई दिल्ली ।
- (2) श्री जे. एम. बैसाख, निदेशक एवं सीपीआईओ, लोक सभा सचिवालय, 164, संसदीय सौंथा, नई दिल्ली ।
- (3) श्री एस. भटनागर, अवर सचिव (RTI), गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
- (4) श्री तपन मित्रा, निदेशक (MPLAD), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग -110001 ।